भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1902

गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

1902. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भले ही महिलाएं अन्य उद्योगों में शीर्ष पदों पर पहुंच जाती हैं, किन्तु आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में अकसर उनका प्रतिनिधित्व कम रहता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाने और पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में लिंग भेद किए बिना इसे एक अधिक प्रगतिशील स्थल बनाने के लिए की गई/की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन उद्योग महिला श्रमशक्ति के सबसे बड़े नियोजकों में से एक है। पर्यटन क्षेत्र महिलाओं को अग्रणी भूमिकाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है तथापि पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यस्थलों में लैंगिक अनुपात से संबंधित डाटा तैयार नहीं किया जाता है।

(ख): आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने और इस क्षेत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार विभिन्न विनियामक तथा स्वैच्छिक उपायों के जरिए आतिथ्य उद्योग के हितधारकों के साथ कार्यरत है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के हितधारकों तथा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों के साथ दिनांक 1 जुलाई, 2010 को 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अंगीकार किया था।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शासित कानूनों के विभिन्न उपबंधों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, समान अवसर और अनुकूल कार्य परिवेश का प्रावधान है। इसमें शामिल है:-

i. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
ii. वेतन संहिता 2019
iii. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में यथा संशोधित)
iv. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013

****